राज्य सभा

253वें सत्र के संबंध में सांख्यिकीय सूचना

[29.01.2021 से 12.02.2021
एवं
08.03.2021 से 25.03.2021]

1. 253वां सत्र (बजट सत्र) शुक्रवार, 29 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ। सत्र दो भागों में आयोजित किया गया। पहले भाग का आयोजन 29 जनवरी, 2021 से 15 फरवरी, 2021 तक होना था। तथापि, 15 फरवरी, 2021 को होने वाली बैठक रद्द कर दी गई और इसके स्थान पर शनिवार 13 फरवरी, 2021 को बैठक तय की गई। बाद में, उस बैठक को भी रद्द कर दिया गया और सत्र का पहला भाग 12 फरवरी, 2021 को समाप्त हो गया। दूसरा भाग, जो 8 मार्च, 2021 को शुरू हुआ था और जिसे 8 अप्रैल, 2021 को समाप्त होना था, समयपूर्व 25 मार्च, 2021 को समाप्त हो गया। सत्र के दूसरे भाग के दौरान 12 मार्च, 2021 को सभा की बैठक एक दिन के लिए रद्द कर दी गई थी।

2. सत्र के पहले भाग के दौरान राज्यसभा की बैठकों का समय 29 जनवरी, 2021 और 1 फरवरी, 2021 को जब, सभा की बैठक क्रमश: म.प. 3.00 और म.प. 1.55 बजे से शुरू हुई, को छोड़कर म.पू. 9.00 बजे से म.प. 2.00 तक था। सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन *अर्थात्* 8 मार्च, 2021 को राज्यसभा की बैठकों का समय सत्र के पहले भाग के अनुरूप, अर्थात् म.पू. 9.00 बजे से म.प. 2.00 तक था और अगले दिन, *अर्थात्* 9 मार्च, 2021 से, सत्र के दूसरे भाग के दौरान सभा की शेष बैठकें सामान्य समय *अर्थात्* म.पू. 11.00 से म.प. 6.00 तक जारी रहीं।

3. सत्र में कुल 23 बैठकें हुईं और सभा की कार्यवाही 104 घंटे से अधिक समय तक चली। सत्र के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर 21 घंटों से अधिक का समय व्यर्थ हुआ (क) ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें और तीन कृषि सुधार कानूनों पर किसानों का विरोध (ख) देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि (ग) बीमा विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग आदि। तथापि, सभा ने विधायी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने हेतु 13 घंटे से भी अधिक समय तक देर तक बैठक करके इस नुकसान की भरपाई की।

4. पश्चिम बंगाल, असम, और गुजरात राज्यों में हुए द्विवार्षिक/उप चुनावों में निर्वाचित/ पुन: निर्वाचित क्रमश: चार सदस्यों नामत: श्री सुब्रता बक्शी, श्री बिस्वजीत दैमारी, श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया और श्री रामभाई हरजीभाई मोकरिया ने सत्र के दौरान शपथ ली/प्रतिज्ञान किया और उस पर हस्ताक्षर किए तथा सभा में अपना-अपना स्थान ग्रहण किया।

5. सभापीठ ने सभा को असम, केरल और पश्चिमी बंगाल राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभा के 3 निर्वाचित सदस्यों क्रमश: श्री बिस्वजीत दैमारी, श्री जोस के. मणि और श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा त्यागपत्र और सभा के नामनिर्देशित सदस्य श्री स्वपन दासगुप्ता द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बारे में सूचित किया।

6. तीन सदस्यों, श्री संजय सिंह, श्री नारायण दास गुप्ता और श्री सुशील कुमार गुप्ता को 3 फरवरी, 2021 को राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 255 के तहत सभा से तत्काल बाहर जाने को कहा गया।

7. सभापीठ ने (i) हमारे देश में प्रतिनिधिक लोकतंत्र के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर, (ii) 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस',(iii) 'आजादी का अमृत महोत्सव' - भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह, (iv) 'विश्व जल दिवस', (v) जावा समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए श्री विजय एयर फ्लाइट एसजे182 के दुर्घटनाग्रस्त होने के शिकार व्यक्तियों और (vi) 2025 तक देश में तपेदिक को समाप्त करने हेतु राष्ट्र के प्रयास का उल्लेख किया।

8. सभा ने 90 साल पहले शहादत प्राप्त करने वाले हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महानायकों, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की।

9. सभापीठ ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों *अर्थात्*- कुवैत के अमीर महामहिम शेख सबाह अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह; बहरीन साम्राज्य के प्रधानमंत्री शाही राजकुमार खलीफा बिन सलमान अल खलीफा; माली के पूर्व राष्ट्रपति श्री अमादोउ टूमानी टूरे; नाइजर के पूर्व राष्ट्रपति श्री ममदोउ तंडजा; एस्वाटिनी साम्राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम श्री एम्ब्रोस मडवुलो दलेमिनी के निधन का उल्लेख किया । वर्तमान सदस्यों श्री रामविलास पासवान, श्री अहमद पटेल, श्री अभय भारद्वाज और श्री ए. मोहम्मदजन; और राज्यसभा के **16** पूर्व सदस्यों तथा प्रख्यात पार्श्व गायक तथा संगीत निर्देशक श्री एस.पी. बालासुब्रमण्यम के निधन का भी उल्लेख किया ।

10. सभापीठ ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम, विशेष रूप से टीम के युवा सदस्यों को बधाई दी।

11. राष्ट्रपति ने 29 जनवरी, 2021 को संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर तीन दिनों तक चर्चा की गई और यह चर्चा14 घंटे से अधिक समय तक चली।

12. सभा ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद, और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन अन्य सदस्यों, जो फरवरी, 2021 के महीने में सेवानिवृत्त हुए थे, को विदाई दी। सभा ने केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्यों, जो राज्यसभा में अपने कार्यकाल की समाप्ति पर 21 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, को भी विदाई दी।

13. वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट को 1 फरवरी, 2021 को सभा के पटल पर रखा गया।

14. वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट पर तीन दिनों तक आम चर्चा हुई और यह 10 घंटे से अधिक समय तक चली।

15. सभा में विनियोग विधेयकों पर जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के विनियोग विधेयकों के साथ चर्चा की गई।

16. 24 मार्च, 2021 को विशेष रुप से वित्त विधेयक, 2021 पर चर्चा करने हेतु सभा की बैठक अपने नियत समय से एक घंटे पहले अर्थात् म.पू. 10.00 बजे हुई, इस दौरान शून्यकाल और प्रश्नकाल को छोड़ दिया गया था और दोपहर का भोजनावकाश भी रद्द कर दिया गया था।

17. जल शक्ति मंत्रालय; रेल मंत्रालय; और पर्यटन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान सभा में रोचक बहस हुई जो 14-33 घंटे से अधिक समय तक चली।

18. सभा ने सत्र के दौरान **19** सरकारी विधेयकों *नामत:* जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन (संशोधन) विधेयक, 2021; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021; महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2021; माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021; राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2019; गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021; राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2021; बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021; खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021; संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021; विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021; विनियोग विधेयक, 2021; जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021; जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021; पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021; पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021; वित्त विधेयक, 2021; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021 को भी पारित किया अथवा लौटाया, जो उपलब्ध साधनों के माध्यम से चिंताशील विमर्श और उससे उत्पन्न हितलाभ की वांछनीयता को दर्शाता है। 3 सरकारी विधेयकों को भी पुर:स्थापित किया गया।

19. मंत्रियों द्वारा 5 स्वप्रेरित वक्तव्य दिए गए अथवा सभा पटल पर रखे गए। ये वक्तव्य (i)उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन की घटना (ii) पूर्वी लद्दाख की वर्तमान स्थिति (iii) विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी की स्थिति में विदेशों में रह रहे भारतीयों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के कल्याण से संबंधित हाल के घटनाक्रम (iv) 'भारत की वैक्सीन मैत्री पहल' और (v) वाहन स्क्रैपिंग नीति से संबंधित थे। 12 वक्तव्य विभिन्न विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दिए गए/रखे गए।

20. सत्र के दौरान लोक महत्व के विषयों पर 109 विशेष उल्लेख किए गए/सभा पटल पर रखे गए। सभापीठ की अनुमति से 163 मामले भी उठाए गए।

21. सत्र के दौरान, विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों सहित विभिन्न संसदीय समितियों के 319 प्रतिवेदनों/विवरणों को सभा पटल पर रखा गया/प्रस्तुत किया गया।

22. सत्र के दौरान, आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21 (खंड I और II); राजकोषीय नीति विवरण, 2021-22; वर्ष 2020-21 से 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन; स्टॉक मार्केट घोटाले और तत्संबंधी मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशों के अनुरूप की गई कार्रवाई संबंधी पैंतीसवां प्रगति प्रतिवेदन (दिसंबर, 2020); वर्ष 2019-20 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), नई दिल्ली का प्रतिवेदन; वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली का प्रतिवेदन; वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी), नई दिल्ली का प्रतिवेदन; वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, नई दिल्ली का प्रतिवेदन; वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (एनआरएलपीएस), नई दिल्ली का प्रतिवेदन; वर्ष 2019-20 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का प्रतिवेदन; वर्ष 2019-20 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई का प्रतिवेदन; वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली का प्रतिवेदन; वर्ष 2018 के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का प्रतिवेदन; वर्ष 2018 के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का प्रतिवेदन;

वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस (36 आईजीसी), नई दिल्ली का प्रतिवेदन; वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली का प्रतिवेदन; वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली का प्रतिवेदन; वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली का प्रतिवेदन; वर्ष 2019-20 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), नई दिल्ली का प्रतिवेदन और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कतिपय प्रतिवेदन जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए।

23. कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के दौरान 253 वां सत्र आयोजित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियात्मक परिवर्तन/व्यवस्थाएं की गईं जिनकी सभापीठ द्वारा सत्र के दौरान समय-समय पर घोषणा भी की गई थीं:-

(i) गत सत्र की तरह इस सत्र में भी नियत सीट/विभाजन संख्या के साथ बैठने की सामान्य व्यवस्था को निलंबित रखा गया। प्रत्येक दल के लिए विभिन्न स्थानों अर्थात राज्य सभा चैंबर, राज्य सभा दीर्घाओं और लोक सभा चैंबर में सीटों की संख्या उनकी दलीय संख्या के अनुसार नियत की गई। सदस्यों से चर्चा में भाग लेने से पूर्व अपना हाथ उठाने, अपना परिचय देने और अपने बैठने के स्थान की घोषणा करने का अनुरोध भी किया गया ताकि उनकी पहचान आसानी से की जा सके। सदस्यों को बैठकर बोलने की अनुमति दी गई, जो सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है, लेकिन गत सत्र से ऐसी व्यवस्था की गई थी।

(ii) सभापीठ द्वारा संपूर्ण सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों की ओर से सभा पटल पर रखे जाने वाले सभी पत्रों और विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों संबंधी सभी विवरणों को, जैसा कि सत्र के प्रत्येक दिन की कार्यावलि में दर्शाया गया था, सभा पटल पर रखने के लिए संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को अधिकृत किया गया।

(iii) विश्वव्यापी महामारी की अवधि के दौरान स्पर्श-रहित पत्राचार का अनुपालन करने के लिए बैठक की सूचनाएं, संसदीय पत्र और अन्य संप्रेषण 'मेंबर्स लॉग-इन पोर्टल' के माध्यम से सभी सदस्यों को परिचालित किए गए।

(iv) सदस्यों को 9 मार्च, 2021 से राज्य सभा की बैठकों के सामान्य समय को पुन: बहाल करने और लोकसभा चैम्बर में उनके बैठने की व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में भी सूचित किया गया। सदस्यों से 9 मार्च, 2021 से कुछ दूरी बनाए रखते हुए राज्य सभा चैंबर और इसकी दीर्घाओं में बैठने का भी अनुरोध किया गया।

24. सत्र के दौरान, **329** तारांकित प्रश्न और **3520** अतारांकित प्रश्न गृहीत किए गए और उनके उत्तर दिए गए। इनमें से **113** तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने, बैठकों को रद्द किए जाने, वित्त विधेयक पर चर्चा और शोर-शराबे तथा किसी न किसी मुद्दे पर सभा में व्यवधानों के कारण **5** दिनों तक प्रश्नकाल आयोजित नहीं किया जा सका। सत्र के दौरान मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के उत्तरों का संशोधन करने के संबंध में **2** विवरण भी सभा पटल पर रखे गए।

253वें सत्र के दौरान किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण- एक नज़र में

बैठकें		
	आमंत्रण पत्रों को भेजे जाने की तारीख	14.01.2021
	सत्र की अवधि	29.01.2021 से 12.02.202 और 08.03.2021 से 25.03.2021
	बैठक के वास्तविक दिनों की संख्या	23
	बैठकों के वास्तविक घंटे *(भोजनावकाश को छोड़कर)*	104 घंटे 23 मिनट
	व्यवधान/स्थगन के कारण बर्बाद हुआ समय	21 घंटे 7 मिनट
	बैठक देर तक जारी रखकर/भोजनावकाश रद्द करके की गई समय की पूर्ति	13घंटे 7 मिनट
	सत्रावसान की तारीख	29.03.2021
प्रश्न		
	सूचीबद्ध तारांकित प्रश्नों की संख्या	329
	तारांकित प्रश्नों की संख्या, जिनके मौखिक उत्तर दिए गए	113
	अतारांकित प्रश्नों की संख्या, जिनके उत्तर दिए गए	3520
	अल्प सूचना प्रश्न	-
	आधे घंटे की चर्चा	
सरकारी विधेयक		
	पुर:स्थापित किए गए विधेयकों की संख्या	3
	वापस लिए गए विधेयकों की संख्या	-
	पारित/लौटाए गए विधेयकों की संख्या	19
	प्रवर समिति को भेजे गए विधेयकों की संख्या	-
	आस्थगित किए गए विधेयकों की संख्या	-
शपथ/प्रतिज्ञान		
	शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या	4
मंत्रियों द्वारा विवरण		
	मंत्रियों द्वारा दिए गए स्वप्रेरित वक्तव्यों/रखे गए विवरणों की संख्या	5
	विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सभा पटल रखे गए विवरणों की संख्या	310
उठाए गए लोक महत्व के मामले		
	ध्यानाकर्षण सूचनाओं की संख्या	-
	अल्पकालिक चर्चाओं की संख्या	-
	विशेष उल्लेखों की संख्या	109
	अनुमति से उठाए गए मामलों की संख्या	163
	सदस्यों द्वारा निवेदन	-
सभापटल पर रखे गए पत्र		**7920**

———